संख्या–3747/X–2–2007–12(5)/2007

प्रेषक,

बी0पी0गुप्ता
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 30 अगस्त, 2007

**विषयः– वन विभाग के अनुदान संख्या–27 आयोजनेत्तर पक्ष में वर्ष 2007–08 की वित्तीय स्वीकृति.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–नि.131/3–9 दि0 25 जुलाई, 2007, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश सं0–3463/X–2–2007–12(5)/2007 दि0 31 जुलाई, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में पूर्व मे अवमुक्त धनराशि रू0 1,04,87,41,000/–के अतिरिक्त संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं के लिये रू0 25,77,59,000/– (रू0 पचीस करोड सतहत्तर लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या–599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर), श्रेणीवार पदो का विवरण तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रुल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग –1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम ( बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शास्त्रनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

2. (अ) मानक मद 12, 26 तथा 46 में विभाग स्वीकृति से पूर्व उपलब्धता इंगित करेगे.

3. शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय.
4. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
5. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

7. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम में डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अ0शा0पत्र संख्या- 146(एन.पी.)/वित्त अनु0-4/2007, दिनांक 29 अगस्त, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक : यथोपरि.

भवदीय,

(बी0पी0गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या-3747(1)/X-2-2007-12(5)/2007, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल (जे).

(श्याम सिंह)
अनुसचिव



30/07/2007